दिनांक 15.04.2021 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

लाकडाउन में चोरी छुपे सामान बेचने वालो पर निगम की टीम ने की कार्रवाई, 15 लोगों से वसूला जुर्माना

भिलाईनगर / कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लाॅकडाउन की अवहेलना करने पर ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जा रही है! भिलाई निगम की टीम लगातार माॅनिटरिंग कर रही है, आज निरीक्षण के दौरान लाॅकडाउन में चोरी छुपे सामान ले जाकर विक्रय करने वालों को पकड़ा गया और अर्थदंड लेकर समझाईश दी गई दोबारा ऐसा न करें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर निगम की मोबाइल टीम लगातार दोनो पालियों में संपूर्ण निगम क्षेत्र का निरीक्षण कर लाॅकडाउन के नियमों का पालन कराने मुस्तैदी से कार्य कर रहे है। सड़क पर बेवहज घूमने वालों पर नजर रखी जा रही है तथा बेवजह बहाना बनाकर बाहर निकलने वालो से सख्ती से पूछताछ करते हुए मास्क लगाए है या नहीं जांच की जा रही है। मोबाइल टीम लगातार शहर का भ्रमण कर लोगों को घर पर ही सुरक्षित रहने की अपील भी कर रहे है। लाॅकडाउन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने निगम की मोबाइल टीम घूम-घूम कर निरीक्षण कर रही है। घनी आबादी वाले गली-मोहल्लों का भी निरीक्षण कर लोगों से अपील कर रहे है कि घर पर सुरक्षित रहें और मास्क लगाए रखे तथा अनावश्यक घर से बाहर न निकले। निगम की मोबाइल टीम सभी क्षेत्रों में घूम-घूम कर निरीक्षण कर रहे है! लाॅकडाउन के बाद भी कई लोग चोरी छुपे सामान बेचकर लोगों की भीड़ इकटठा कर रहे थे ऐसे लोगों से जुर्माना वसूला गया जिसमें नेहरू नगर के रिन्कू से 200 रूपए, नीतेश से 200 रूपए, पदुम सोनकर से 500 रूपए, कोहका के नरेन्द्र साहू से 1000 रूपए, सिन्हा परिपार से 200 रूपए, शांतिनगर के मुकेश से 200 रूपए, रामनगर के सोनू से 200 रूपए, सुपेला के पप्पू कुमार से 200 रूपए, बनवारी सोनकर से 500 रूपए, जितेन्द्र सोनकर 200 रूपए, जयराम से 200 रूपए, अनिल से 200 रूपए, सुपेला के राजेश साव से 2000 हजार रूपए, सुपेला में अमर से 200 रूपए, हुडको के अब्दुल गनी से 3000 हजार रूपए सहित कुल 15 लोगों पर लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण 9900 रूपए अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही की गई।